(201)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प–भोपाल (म0प्र0)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2017/ ~~अपील क्रमांक~~-2546

1– मुन्नालाल आयु–व्यस्क
2– मोहन साहू आयु–व्यस्क
3– राधेश्याम आयु–व्यस्क
4– अशोक आयु–व्यस्क
5– बंसतीलाल आयु–व्यस्क
6– संतोष आयु–व्यस्क
पुत्रगण बाबूलाल जाति साहू
निवासी–वार्ड कमॉक 1 बैरसिया
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0.................................पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

विरूद्ध

बाला प्रसाद आयु व्यस्क,
आत्मज बिहारीलाल जाति विश्वकर्मा
निवासी एवं कृषक ग्राम बैरसिया वार्ड 6 लोहापुरा
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0.................................अनावेदक / आवेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

(119)

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 बैरसिया, तहसील–बैरसिया जिला–भोपाल के प्रकरण कमॉक 20/ए–12/15–16 में पारित आदेश दिनॉक 09.05.16, 27.05.16 से असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2546

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-3-2018	अनावेदक की ओर से श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 9-5-2016 एवं 24-5-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10-7-2017 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि सीमांकन की सूचना आवेदकगण को को थी, इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक के प्रकरण की सत्यप्रतिलिप के अवलोकन से होती है । अत: आवेदकगण की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र समाधान कारक नहीं हैं । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित कियि गया है :- "धारा 5-व्याप्ति– अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-सबूत-अधिनियम की धारा 5 के द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता है" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी पृथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	